न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 44/2021
जी.सी.एम.एसरजिस्ट्रेशन नं. :2021/62

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री धर्मेन्द्र जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन निवासी गॉधी मुर्ति के पास, तलवाडा, बॉसवाडा (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स धर्मेन्द्र ट्रेडर्स, गॉधी मुर्ति के पास, तलवाडा, बॉसवाडा।
2. श्री महावीर सारगिया पुत्र श्री सूरजमल सारगिया (मालिक) मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राईजेज, कबीर मंदिर के पास, नाथेलाव कोलोनी, (बाहुबली) कोलोनी, डॉ. राजेन्द्र दोशी की गली, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 25.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकान्त शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा हाल राजसमन्द (राज) के द्वारा दिनांक **06–10–2021** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **09–11–2020** को 10.30 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स धर्मेन्द्र ट्रेडर्स, गॉधी मुर्ति के पास, तलवाडा, बॉसवाडा** पर पहुंया। इस समय संस्थान पर **श्री धर्मेन्द्र जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **बेसन (M4J) के 500–500 ग्राम के 25 पैकेट** आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें गुणवत्ता की कमी/मिसब्राण्ड का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त **बेसन (M4J) के चार पैकेट** विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए तथा इनकी कीमत 160 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। विक्रेता [illegible] गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। खरीद किये गये **बेसन (M4J)** के [illegible] पैकेट अलग अलग बनाकर डी.ओ एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सि[illegible]नंबर W-674 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया। मौके पर कारोबारकर्ता द्वारा **मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राईजेज, कबीर मंदिर के पास, नाथेलाव कोलोनी, (बाहुबली) कोलोनी, डॉ. राजेन्द्र दोशी की गली, बॉसवाडा** का बिल पेश किया जिसके द्वारा उक्त **बेसन (M4J)** की खरीद की गई है।

डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/20/300 दिनांक 24.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 309 दिनांक 14.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन (M4J)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **बेसन (M4J)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11–10–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 25.11.2021 को अभियुक्तगणो ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी. ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/20/300 दिनांक 24.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 309 दिनांक 14.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेसन (M4J)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया है। विक्रेता द्वारा **बेसन (M4J)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **बेसन (M4J) मिस ब्राण्डेड** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री धर्मेन्द्र जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन निवासी गॉधी मुर्ति के पास, तलवाडा, बॉसवाडा (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स धर्मेन्द्र ट्रेडर्स, गॉधी मुर्ति के पास, तलवाडा, बॉसवाडा को 5000/– (अक्षरे रू. पॉच हजार मात्र), श्री महावीर सारगिया पुत्र श्री सूरजमल सारगिया (मालिक) मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राईजेज, कबीर मंदिर के पास, नाथेलाव कोलोनी, (बाहुबली) कोलोनी, डॉ. राजेन्द्र दोशी की गली, बॉसवाडा जिला बॉसवाडा को 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested